राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

विवरणिका

एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम, 2021–2022

विषय निरूपण

ज्ञान की उन्नति के माध्यम से मानवोचित अधिगमोन्मुख समाज विकसित करना।

लक्ष्य

राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण द्वारा शैक्षणिक नीति, योजना और प्रबंध के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बनना।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का उद्गम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का उद्गम वर्ष 1962 में उस कालखण्ड में हुआ था जब यूनेस्को ने शैक्षणिक योजना निर्माताओं, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के निमित्त एशियाई क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की थी जो परवर्ती काल सन् 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एआईईपीए) बन गया। तत्पश्चात् कालानुक्रम में एआईईपीए सन् 1973 में शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज के नाम से इसके एशियाई कार्यक्रम प्रभाग के रूप में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात् विशेष रूप से राज्य सरकारों को क्षमता निर्माण, शोध और वृत्तिक सहयोग सेवा प्रदान करने में नेशनल स्टाफ कॉलेज की भूमिका और कृत्य में अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप सन् 1979 में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के रूप में रूपांतरित किया गया। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में इस संगठन द्वारा किए गए पुरोगामी एवं पथ प्रदर्शक का कार्य किए जाने के दृष्टिगत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन अगस्त, 2006 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर इसे उपाधियां देने की शक्ति दी है।

कुलपति का संदेश

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और शोध कार्य से संव्यवहार करने वाली एक अग्रणी संस्था है।

इस राष्ट्रीय संस्थान में आठ शैक्षणिक विभाग और दो केन्द्र हैं। संस्थान में उत्कृष्ट बहु–विद्या संकाय होने के साथ–साथ एक ग्रंथालय है जिसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र से संबद्ध पुस्तकें, राष्ट्रीय, एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं और कार्यालयीन दस्तावेज उपलब्ध हैं।

नानाविध कार्यकलाप के अलावा, इस राष्ट्रीय संस्थान में व्यापक अन्तःविद्या परिप्रेक्ष्य से शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन में एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. पूर्णकालिक पीएच.डी. और अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। नीपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विकास दोनों परिप्रेक्ष्य से सभी स्तरों और प्रारूप की शिक्षा सन्निहित है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का भारत के भीतर और भारत के बाहर की सुप्रसिद्ध संस्थाओं यथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, यूनेस्को, पेरिस के साथ व्यापक सहयोगी कार्यकरण संबंध हैं और यह संस्थान यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, विश्व बैंक एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ गहनतापूर्वक कार्य करता है। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को विश्व के विभिन्न संस्थाओं से आने वाले विद्वतजनों और अध्येताओं के साथ अन्तःक्रिया करने का सुअवसर प्राप्त होता है।

हमारी प्रत्याशा है कि आने वाले समय में इस संस्थान में ऐसे युवा और उज्ज्वल विभव वाले अध्येता आऐंगे जो एम.फिल. और पीएच.डी. स्तर पर शोध के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध हों।

ह.
(एन.वी. वर्गीज)

फरवरी, 2021

विषय सूची

1. राष्ट्रीय संस्थान के बारे में
2. एम.फिल. – पीएच.डी. कार्यक्रम 2021–2022
3. अर्हता
4. चयन और प्रवेश
5. कार्यक्रम की अवधि
6. शुल्क और अध्येतावृत्ति
7. कार्यक्रम की संरचना
8. मूल्यांकन
9. अनिरन्तरता की दशा में प्रावधान
10. कार्यक्रम का विवरण–पत्र
11. सामान्य शर्तें
12. एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए समितियां
13. संकाय
14. प्रशासनिक एवं समर्थन सेवा स्टाफ
15. अनुलग्नक–1: अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र

1. राष्ट्रीय संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय संस्थान नीति–निर्माण और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एंव शोध और विकास में कार्यरत है। यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। क्षमता विकास और शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में सार्वजनिक एजेंसियों को वृत्तिक सहयोग से संबंधित अन्य कार्यकलापों के अलावा संस्थान शैक्षिक नीति, योजना एवं प्रशासन में एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम के माध्यम से कुशल जनशक्ति का निर्माण भी कर रहा है।

इस राष्ट्रीय संस्थान में अत्याधुनिक ग्रंथालय है जिसके इष्टतम उपयोग से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन तथा संबद्ध अन्तःविद्यात्मक विषयों के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक अध्येताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ग्रंथालय द्वारा संकाय, शोधकर्त्ताओं, प्रशासकों, नीति–निर्माताओं और अपने अकादमिक प्रयासों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कुशल सेवा मुहैया की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के ग्रंथागार में 60,000 से अधिक पुस्तकें हैं। यहाँ नियमित रूप से लगभग 240 भारतीय और विदेशी पत्र–पत्रिकाओं को मंगाया जाता है। यह ग्रंथालय पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है और यहाँ इन्टरनेट, एरिक और डेलनेट आधारित वास्तविक पुस्तकालय साधन के माध्यम से संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदार

संस्थान के प्रलेखन केन्द्र में शैक्षिक योजना प्रशासन से संबंधित 18,500 से अधिक वॉल्यूम का वृहद और सघन संग्रह उपलब्ध है। प्रलेखन केन्द्र पर कार्यालयीन प्रतिवेदन, दस्तावेज एवं अन्य सरकारी प्रकाशन यथा शासकीय राजपत्र, राजकीय जनगणना प्रतिवेदन, वैश्विक हस्तपुस्तिका, शैक्षिक सर्वेक्षण, पंचवर्षीय योजनाएं आदि का विशिष्ट संग्रह है। यहाँ संस्थान के शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडेपा) तथा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (आईडेपा) के शोध प्रबंध लेख का भी बहुल संग्रह धारित किया जाता है। यहाँ सुनिर्मित डिजीटल अभिलेखागार भी है जिसमें लगभग 10,000 दस्तावेज हैं। यह संस्थान शिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए

मूलभूत अवसंरचना से युक्त है। यहाँ आधुनिक कक्षाएं, सेमिनार हॉल और इन्टरनेट सुविधायुक्त अत्याधुनिक आईसीटी प्रयोगशाला है।

संकाय

संस्थान में सुयोग्य बहु एवं अन्त:विषयक शिक्षक हैं जिनके पास बहुल राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव है और उनके सहयोग के लिए सक्षम प्रशासनिक एवं अकादमिक सहयोग प्रदान करनेवाले कर्मचारी है।

2. एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम 2021–2022*

यह राष्ट्रीय संस्थान शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में व्यापक अंत:विद्यात्मक सामाजिक विज्ञान के संदर्श से एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन करता है।

एम.फिल.–पीएच.डी. अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए

इन कार्यक्रमों का अभिकल्प विविध पृष्ठभूमि के अध्येताओं की शोध क्षमता का निर्माण करने तथा शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त के संबद्ध क्षेत्रों में सशक्त ज्ञान और कौशल का आधार प्रदान करने को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्ण किए गए शोधपरक अध्ययन से प्रत्याशा की जाती है कि इनसे नीति निर्माण, सुधारात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा क्षमता निर्माण कार्यकलापों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के अलावा ज्ञान के आधार में भी अभिवृद्धि होगी। विद्यालय और/अथवा उच्चतर शिक्षा को शामिल करते हुए शोध के मुख्य क्षेत्र निम्नवत हैं:

- शैक्षिक नीति
- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त

* अकादमिक वर्ष 2021–22 के लिए एम.फिल. कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश के अध्याधीन होंगे।

शोध के मुख्य क्षेत्र

1. गुणवत्ता और अधिगम प्रतिफल
2. समता, विविधता और समावेशन
3. शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी
4. शासन व्यवस्था और जवाबदेही

इन मुख्य क्षेत्रों के विवरण अनुलग्नक–1 में सूचीबद्ध हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान में एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति में किए गए सभी अनिवार्य उपबंधों का पालन किया जाता है।

वर्ष 2021–22 में एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम 20 अध्येताओं का चयन किया जाएगा।

3. अर्हता

3.1 एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम

(क) एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान तथा संबद्ध विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक (अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यार्थियों अ.पि.व. (नॉन क्रिमी लेयर) और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। अन्य विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी पर भी विचार किया जा सकता है यदि उस पुरूष अथवा महिला उम्मीदवार के पास शिक्षण का अनुभव अथवा शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

(ख) उपर्युक्त शैक्षिक अर्हता रखने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नेट (राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा) उत्तीर्ण की है और यू.जी.सी. द्वारा कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) से अवार्ड किए गए हैं; उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर की अंतिम परीक्षा अब तक उत्तीर्ण नहीं की है वे भी आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु यह कि प्रवेश परीक्षा के समय उन्हें उपर्युक्त (क) में यथोलिखित अर्हता की शर्तों के अनुरूप परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के एम.फिल. स्नातक प्रवेश समिति द्वारा उचित समीक्षा के पश्चात् पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के पात्र होंगे यदि दस बिन्दु मानक पर उन्हें 5 या उससे ऊपर एफजीपीए प्राप्त होता है।

3.2 पीएच.डी. कार्यक्रम

(क) पूर्ण–कालिक

1. पूर्णकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त 3.1 में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा।

2. संस्थान में उन उम्मीदवारों के लिए भी पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश उपलब्ध है जिन्होंने शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की है, अथवा

3. सामाजिक विज्ञान/संबद्ध क्षेत्रों में एम.फिल. की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार जिनका उच्च स्तरीय प्रकाशन है, उन्हें पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) अंश–कालिक

संस्थान में विश्वविद्यालय के नियमों में यथा निहित मानदंडों के आधार पर अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाता है। अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है:–

(i) उनके पास उपर्युक्त पैरा 3.1 (क और ख) में यथोलिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

(ii) वर्तमान में वह पूर्णकालिक नियमित नियोजन में कार्यरत हो।

(iii) वह वरिष्ठ स्तरीय शैक्षणिक कर्मी होना चाहिए जिसके पास शैक्षिक नीति योजना और प्रशासन में शिक्षण/शोध का न्यूनतम पाँच वर्ष का कार्यानुभव हो।

(iv) वह पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अपने संगठन से कम से कम एक वर्ष की छुट्टी पाने के लिए पात्र हो।

4. चयन और प्रवेश

उम्मीदवारों को संस्थान के एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम अथवा पूर्णकालिक/अंशकालिक पीएच.डी. में प्रवेश पाने के लिए विहित गूगल फॉर्म में ऑन–लाइन आवेदन करना चाहिए।

उपर्युक्त कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 400 रूपए (अ.जा./अ.ज.जा. और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रू.) के आवेदन शुल्क की ऑनलाइन भुगतान किया जाना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान से विवरणिका प्राप्त की जा सकती है।

गूगल फॉर्म का लिंक नीपा की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। विधिवत भरे हुए गूगल फॉर्म का प्रिंट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ (जांच सूची नीचे दी गई है), ऑनलाइन भुगतान की रसीद तथा पृष्ठ सं. 7 पर दी गई रूपरेखा के अनुरूप शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त के व्यापक क्षेत्रों के भीतर लगभग 2500 शब्दों में किसी एक प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्रों) अथवा शोध के बारे में संक्षिप्त आलेख की तीन प्रतियाँ भेजी जाए। लिफाफे पर मोटे अक्षरों में स्पष्टतः ''एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम, 2021–22'' अंकित होना चाहिए। गूगल फॉर्म की मुद्रित प्रति कुलसचिव के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर अथवा डाक द्वारा भी जमा की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थी जो नियोजित हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र अनिवार्यतः **उचित माध्यम से ही भेजना होगा जिसमें आवेदन अग्रेषित करने वाले अधिकारी द्वारा एक खंड का उल्लेख किया जाना चाहिए कि चयन होने की दशा में अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए एक वर्ष की छुट्टी दी जाएगी साथ ही सेमिनार में भाग लेने तथा अन्य संबद्ध कार्य करने के लिए यथा अपेक्षित समय दिया जाएगा।**

आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जांच सूची निम्नवत् हैः

- ☐ 10वीं का अंकपत्र और प्रमाण पत्र
- ☐ 12वीं का अंकपत्र और प्रमाण पत्र
- ☐ बी.ए. का समेकित अंक पत्र और उसकी डिग्री
- ☐ एम.ए. का समेकित अंक पत्र और उसकी डिग्री
- ☐ एम.फिल. का अंक पत्र और उसकी डिग्री
- ☐ जाति/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- ☐ शुल्क की रसीद
- ☐ प्रस्ताव की तीन प्रतियां
- ☐ यदि कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गमित अनापति प्रमाण पत्र

आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा कुलसचिव को प्रेषित किया जाना चाहिए ताकि यह **15 मई, 2021** तक निम्नलिखित पते पर पहुँच जाएः

कुलसचिव,
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)
17–बी, श्रीअरबिन्दो मार्ग
नई दिल्ली–110016
भारत

संक्षिप्त आलेख की संरचना प्रस्तावित विषय से संबंधित होने के साथ–साथ उसमें विषय का महत्व, चुने गए विषय पर विद्यमान साहित्य की विश्लेषणात्मक समीक्षा और अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित शोध विषय अन्तर्विष्ट होना चाहिए। उल्लिखित प्रत्येक क्षेत्र में, प्रस्तावित आलेख के मूल विषय में विशिष्टतः शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त, जैसी भी स्थिति हो से संबंधित पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। संक्षिप्त आलेख के निमित्त सुझाई गई रूपरेखा निम्नवत हैः–

- शीर्षक
- प्रस्तावना
- अध्ययन का तर्काधार अर्थात् प्रस्तावित अध्ययन का महत्व और उसकी आवश्यकता
- संबंधित साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा
- शोधपरक प्रश्न
- उद्देश्य
- प्रस्तावित पद्धति
  – नमूना, उपकरण, प्रक्रिया
- प्रस्तावित शोध का निहितार्थ
- संदर्भ

कंप्यूटर प्रयोगशाला

केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिसके माध्यम से संस्थान शैक्षिक मुद्दे, चयनित विषय, शोध साहित्य की सूझ–बूझ और दत्त के निर्वचन तथा निष्कर्ष ज्ञात करने की योग्यता के बारे में अभ्यर्थी को शोध अभियोग्यता, उसकी सामान्य जागृति का मूल्यांकन करेगा।

5. कार्यक्रम की अवधि

5.1 एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम

संस्थान में शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में पांच वर्ष का समन्वित एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम संचालित किया जाता है जिसमें एक वर्ष का अनिवार्य कोर्स वर्क शामिल है, इसके बाद एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम पूरा करने के लिए एक वर्ष का शोध प्रबंध कार्य किया जाता है। संस्थान से सफलतापूर्वक एम.फिल. कार्यक्रम पूरा करने वाले अध्येता जो निहित मानदंड (वर्तमान में दस बिन्दु मानदंड पर 5 या उससे अधिक एफजीपीए) को पूरा करते हैं; वे पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं। ऐसे अध्येता पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए दो वर्ष का पंजीकरण होने के बाद ही डॉक्टर की उपाधि के लिए अपना शोध पत्र जमा करने के लिए योग्य हैं।

5.2 पीएच.डी. कार्यक्रम

(क) पूर्ण–कालिक

पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रविष्ट सभी अध्येताओं (केवल उनको छोड़कर जिन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान से एम.फिल. की डिग्री पाप्त की है) को अपना पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन की अभिपुष्टि होने से पूर्व एक वर्ष का कोर्सवर्क पूरा करना होगा जिसके बाद पीएच.डी. कार्यक्रम के रजिस्ट्रीकरण की अभिपुष्टि की तारीख से 2 वर्ष के पश्चात ही वे अपना शोधपत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

(ख) अंश–कालिक

अंशकालिक पीएच.डी. अध्येता पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की समयावधि के बाद अपना पीएच.डी. शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रविष्ठ सभी अध्येताओं के लिए अपने पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन की पुष्टि होने से पूर्व एक वर्ष का कोर्सवर्क पूरा करना अनिवार्य है।

नोटः

(क) एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम के अध्येताओं से प्रत्याशा की जाती है कि वे कार्यक्रम की पूरी अवधि में संस्थान में उपस्थित रहें। कार्यक्रम 12 जुलाई, 2021 को आरंभ होगा।

(ख) अंशकालिक पीएच.डी. अध्येताओं से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे संस्थान के नियमों और विनियमों में यथा निहित कार्यक्रम की अकादमिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोर्स वर्क में अपनी उपस्थिति के अलावा सेमिनार और विमर्श में भाग लेने के लिए अक्सर कैम्पस में उपलब्ध रहें।

(ग) अध्येता को अपने पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षकों) के परामर्श से संशोधित शोध सारांश अपने अध्ययन कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के अंत तक तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण–कालिक अध्येताओं के रजिस्ट्रेशन की अभिपुष्टि के लिए यह आवश्यक शर्त होती। यदि संबंधित पुरुष/महिला अध्येता निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहता/रहती है तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा।

(घ) एक बार पूर्ण कालिक अध्येता के रूप में अभिपुष्ट हो जाने पर वह पुरूष/महिला अभ्यर्थी अपना एम.फिल. शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष की समयावधि तक अनुमोदित शोध विषय पर कार्य करेगा/करेगी और अपनी पीएच.डी. शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए योग्य होने के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक कार्य करेगा/करेगी।

(ङ) अध्येता अपने पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षकों) के माध्यम से एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से 2 वर्ष की समयावधि के भीतर सार की चार प्रतियों के साथ एम.फिल. शोध प्रबंध की चार प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(च) अध्येता अपने पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षकों) के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रम के पंजीकरण की तरीख से दो वर्ष की समयावधि पूरी होने के बाद पीएच.डी. शोध कार्य की पांच प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा/करेगी, पूर्णकालिक अध्येताओं के लिए यह अवधि न्यूनतम दो वर्ष की है जबकि अंशकालिक अध्येताओं के लिए यह अवधि तीन वर्ष की है। इसके अलावा, अध्येता 2500 से अधिक शब्दों में शोध पत्र के सार की पाँच प्रतियाँ भी प्रस्तुत करेगा। उस पुरूष/महिला अध्येता को शोध पत्र प्रस्तुत करने से न्यूनतम तीन माह पूर्व सेमिनार में अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने और इसके पक्ष में तर्क रखने की अपेक्षा की जाएगी।

(छ) एम.फिल. और पीएच.डी. दोनों कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की नियमावली और विनियम से शासित होंगे।

पुस्तकालय और नीपा प्रकाशन

6. शुल्क और अध्येतावृत्ति

6.1 शुल्क की संरचना

शुल्क	रकम (रु. में)	टिप्पणी
अ. शुल्क		
प्रवेश शुल्क	5,000.00	नामांकन के समय संदेय
कोर्स शुल्क (वार्षिक)	5,000.00	नामांकन के समय संदेय
वार्षिक कार्यक्रम शुल्क	2,500.00	सभी एम.फिल. और पीएच.डी. अध्येता (अंशकालिक पीएच.डी. सहित) द्वारा द्वितीय वर्ष से प्रति वर्ष संदेय
पाठ्यक्रम मूल्यांकन शुल्क	1,000,00	नामांकन के समय संदेय
शोध कार्य/शोध प्रबंध प्रस्तुति शुल्क	पीएच.डी. 4,000.00 एम.फिल. 2,000.00	शोध कार्य/शोध प्रबंध प्रस्तुति के समय संदेय
शोध कार्य/शोध प्रबंध पुनः प्रस्तुति शुल्क	पीएच.डी. 1,000.00 एम.फिल. 500.00	अनुरोध पत्र के समय संदेय
औपबंधिक प्रमाण पत्र अवार्ड किया जाना	1,000.00	अनुरोध पत्र के समय संदेय
डिग्री दिया जाना	1,000.00	अनुरोध पत्र के समय संदेय
डिग्री की प्रतिलिपि जारी किया जाना	500.00	अनुरोध पत्र के समय संदेय
ट्रांसक्रिप्ट जारी किया जाना	500.00	अनुरोध पत्र के समय संदेय

ख. अवधान राशि (प्रत्यर्पणीय)		
पुस्तकालय	2,000.00	प्रवेश के समय संदेय
कंप्यूटर केंद्र	2,000.00	प्रवेश के समय संदेय

नोटः संस्थान के निर्णय के अनुसार शुल्क की संरचना परिवर्तित की जा सकती है।

6.2 अध्येतावृत्ति

एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. और पूर्ण कालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को नीपा अध्येतावृत्ति दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होकर कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुरूप राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से उतनी ही धनराशि की अध्येतावृत्ति दी जाएगी। तथापि अध्येतावृत्ति की निरंतरता संबंधित पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की समुपयुक्त समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित अध्येताओं की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के अधीन होगी।

एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम के अध्येताओं से राष्ट्रीय संस्थान के शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नीपा के शिक्षकों को अंशकालिक सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

7. कार्यक्रम की संरचना

7.1 एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम तीन भागों में संचालित किया जाएगा।

भाग– एक	कोर्स वर्क
भाग– दो	एम.फिल. शोध प्रबंध कार्य
भाग– तीन	पीएच.डी. शोध कार्य

7.2 पीएच.डी. कार्यक्रम (पूर्णकालिक और अंशकालिक) दो भागों में संचालित की जाएगी

भाग– एक	कोर्स वर्क
भाग– दो	पीएच.डी. शोध कार्य

7.3 कोर्स वर्क

एक वर्ष की समयावधि के कोर्स वर्क में दो सैमेस्टर हैं। सात अनिवार्य कोर्स में प्रत्येक में दो क्रेडिट हैं और दो वैकल्पिक कोर्स (सोलह कोर्स की सूची में से चयनित विकल्प) में से प्रत्येक का एक क्रेडिट होगा। इस प्रकार कुल 16 क्रेडिट होगा और ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप/परियोजना कार्य के चार क्रेडिट होंगे।

कोर्स	शीर्षक	क्रेडिट
CC- 1	शिक्षा के बारे में परिप्रेक्ष्य	2
CC- 2	भारत में शिक्षा	2
CC- 3	शोध पद्धति–1	2
CC- 4	शिक्षा नीति	2
CC- 5	शोध पद्धति–2	2
CC- 6	शैक्षिक योजना	2
CC- 7	शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध	2
OC- 1	वैकल्पिक पाठ्यक्रम	1
OC- 2	वैकल्पिक पाठ्यक्रम	1

प्रथम चार अनिवार्य पाठ्यक्रम पहले सैमेस्टर में संचालित किए जाएंगे जबकि शेष तीन अनिवार्य पाठ्यक्रम और दो वैकल्पिक पाठ्यक्रम दूसरे सैमेस्टर में संचालित किए जाएंगे।

7.4 शोध प्रबंध

कोर्स वर्क के सफल समापन के पश्चात् एम.फिल. के अध्येताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरे वर्ष के आरंभ से ही शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षा के 16 क्रेडिट के लिए कार्य करें। जिसके फलस्वरूप एम.फिल. की डिग्री प्रदान की जाएगी।

एम.फिल. और पीएच.डी. अध्येता

7.5 शोध पत्र

पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत अध्येताओं को किसी अनुमोदित विषय पर कार्य करना होगा और एक चिन्हित पर्यवेक्षक के के अधीन अपना शोधकार्य प्रस्तुत करना होगा। सफल मूल्यांकन के प्रश्चात् सफल अध्येताओं को पीएच.डी. की डिग्री दी जाएगी।

8. मूल्यांकन

एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम के कोर्स वर्क का मूल्यांकन सतत और वृहद मूल्यांकन (सीसीई) के माध्यम से किया जाएगा और यह मूल्यांकन के विविध स्रोतों, मानदण्डों और तकनीक पर आधारित होगा। मूल्यांकन की स्कीम में सेमिनार प्रस्तुति, आवधिक पत्र, पुस्तक समीक्षा, क्षेत्रीय संलग्नता इत्यादि के आधार पर मूल्यांकन शामिल होगा। कोर्स वर्क के अंत में लिखित परीक्षा होगी।

9. अनिरन्तरता की दशा में प्रावधान

9.1 एम.फिल. कोर्स के भाग–1 के समापन के प्रश्चात् किसी विद्यार्थी द्वारा कार्यक्रम को जारी नहीं रखने की दशा में उस पुरुष/महिला अध्येता को संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा सम्यक विचार किए जाने के पश्चात् कोर्स के भाग–एक में अर्जित क्रेडिट का उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र देकर संस्थान छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह का उम्मीदवार एम.

फिल. कार्यक्रम पूरा करने के लिए तीन वर्ष के भीतर कोर्स में पुनः प्रवेश लेने का विकल्प चुन सकता है। जिस दशा में उसे पुनः कोर्स का भाग–1 पूरा करने से छूट दी जा सकती है।

9.2 पूर्णकालिक पीएच.डी. के विद्यार्थी द्वारा कोर्स वर्क पूरा करने के पश्चात् कार्यक्रम छोड़ने की अनुमति संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा सम्यक विचार के पश्चात दी जा सकती है। ऐसी दशा में विद्यार्थी को एक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जिसमें कोर्स वर्क में विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट का उल्लेख होगा।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कोर्स वर्क के सफल समापन और पीएच.डी. के विषय की पुष्टि के पश्चात् अध्ययन छोड़ता है तो उसे अपना पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने के लिए पुनः प्रवेश का अनुरोध कर, तीन वर्ष की अवधि के भीतर कार्यक्रम में वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

10. कार्यक्रम का विवरण–पत्र*

1.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	15 मई, 2021
2.	लिखित परीक्षा	19 जून, 2021
3.	साक्षात्कार	21–22 जून, 2021
4.	अंतिम परिणाम की घोषणा	25 जून, 2021
5.	नामांकन की अंतिम तारीख	9 जुलाई, 2021
6.	एम.फिल./पीएच.डी. सत्र/कोर्स कार्य का आरंभ	12 जुलाई, 2021

* इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में इसकी सूचना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन की वेबसाइट www.niepa.ac.in पर उपलब्ध होगी।

11. सामान्य शर्तें

1. राष्ट्रीय संस्थान के एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अध्येता को कोई अन्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक) जिसके फलस्वरूप डिग्री या डिप्लोमा दी जाती है में नामांकन की अनुमति नहीं होगी। यदि इस तरह की समकालिक गतिविधि की सूचना ध्यान में लाई जाएगी तो एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

2. किसी पूर्णकालिक अध्येता को एम.फिल./पीएच.डी. कोर्स की अवधि के दौरान किसी प्रकार की नियुक्ति के लिए आवेदन करने अथवा नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।

3. जो उम्मीदवार पहले से रोजगार में हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों मे से किसी के लिए आवेदन करते समय संबंधित नियोक्ता से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' के साथ–साथ आवश्यक अवधि के लिए छुट्टी दिए जाने का आवश्वासन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. अध्येताओं को एम.फिल. शोध प्रबंध और पीएच.डी. थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा केवल ऐसे अध्येता जो एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन पाए हैं और दस बिन्दु के मानदण्ड पर 5 अथवा उससे अधिक एफजीपीए एम.फिल. कार्यक्रम के समापन के पश्चात् प्राप्त कर पीएच.डी. कार्यक्रम करने का विकल्प दिया है, उन्हें इससे छूट होगी।

5. राष्ट्रीय संस्थान के एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के अध्येताओं को संबंधित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास की शर्त का पालन करना होगा। तथापि, शोध कार्य/क्षेत्रीय कार्य के संबंध में उन्हें पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षकों) की पूर्वानुमति से स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

6. उपस्थिति, छुट्टी एवं अन्य पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के नियमों व विनियम के अधीन सभी अध्येताओं को अनुशासन का पालन करना होगा। सभी अध्येताओं को अवधि के अंत में होने वाली परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनकी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

7. सभी अध्येताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी तरह से रैगिंग की गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे। यदि कोई अध्येता इस तरह की किसी भी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे यूजीसी के निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार दंडित किया जाएगाः

- नामांकन रद्द किया जाना।
- कक्षाओं में उपस्थिति से निलंबन।
- छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति एवं अन्य सुविधाएं रोकना/वापस लेना।
- किसी जांच/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित किया जाना।
- परीक्षाफल रोक दिया जाना।
- किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट या युवा–समारोह आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

सामूहिक दण्ड : जब रैगिंग का अपराध को अंजाम करने अथवा यह अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करने वालों की पहचान नहीं हो पाती है, तो संस्थान सामुदायिक दबाव अथवा भावी रैगिंग करने वालों के रोध के रूप में सामूहिक दण्ड का प्रावधान करेगा।
हेल्पलाइन नं.– 1800–180–5522(24x7 टोल फ्री) अथवा ईमेलः helpline@antiragging.in

8. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

12. एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए समितियां

क्र. सं.	समिति का नाम	सदस्य
1.	संचालन समिति	1. प्रो. विनीता सिरोही, अध्यक्ष 2. डा. रश्मिता दास स्वैन, सदस्य 3. डा. नरेश कुमार, सदस्य 4. डा. सुमन नेगी, सदस्य
2.	स्थायी सलाहकार समिति	1. प्रो. सुधांशु भूषण, अध्यक्ष 2. प्रो. ए.के. सिंह, सदस्य 3. प्रो. प्रणति पांडा, सदस्य 4. प्रो. कुमार सुरेश, सदस्य 5. प्रो. के. बिस्वाल, सदस्य 6. प्रो. विनीता सिरोही, सदस्य
3.	पर्यवेक्षक के आवंटन के लिए समिति (सीएएस)	1. प्रो. ए.के. सिंह, अध्यक्ष 2. प्रो. कुमार सुरेश, सदस्य 3. प्रो. मोना खरे, सदस्य 4. प्रो. के. बिस्वाल, सदस्य 5. प्रो. विनीता सिरोही, सदस्य सचिव
4.	अर्धवार्षिक प्रगति की समीक्षा के लिए समिति	1. प्रो. सुधांशु भूषण, अध्यक्ष 2. प्रो. ए.के. सिंह, सदस्य 3. प्रो. कुमार सुरेश, सदस्य 4. प्रो. विनीता सिरोही, सदस्य 5. प्रो. मोना खरे, सदस्य सचिव
5.	परीक्षा समिति	1. प्रो. ए.के. सिंह, अध्यक्ष 2. डा. सुनीता चुघ, सदस्य 3. डा. संगीता अंगोम, सदस्य 4. डा. सुमन नेगी, सदस्य 5. डा. मोना सेदवाल, सदस्य

6.	आंतरिक शिकायत समिति	1. प्रो. प्रणति पांडा, अध्यक्ष 2. प्रो. गौरी श्रीवास्तव, सदस्य 3. प्रो. विनीता सिरोही, सदस्य 4. सुश्री पूजा सिंह, सदस्य 5. प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य
7.	एंटी–रैगिंग समिति	1. प्रो. प्रणति पांडा, अध्यक्ष 2. डा. कश्यपी अवस्थी, सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य
8.	छात्र परामर्श केन्द्र	1. प्रो. प्रणति पांडा, अध्यक्ष 2. डा. रश्मिता दास स्वैन, सदस्य 3. डा. कश्यपी अवस्थी, सदस्य
9.	समान अवसर कक्ष	1. प्रो. विनीता सिरोही, अध्यक्ष 2. डा. सुमन नेगी, सदस्य 3. श्री प्रमोद रावत, उ.प्र.अ., सदस्य 4. सुश्री सोनम आनन्द सागर, अ. अधिकारी, सदस्य
10.	शिकायत निवारण समिति	1. प्रो. वीरा गुप्ता, अध्यक्ष 2. प्रो. विनीता सिरोही, सदस्य 3. डा. सुनीता चुघ, सदस्य 4. डा. एस.के. मलिक, सदस्य 5. सुश्री अनुराधा बोस, सदस्य 6. लोकपाल प्रो. मोहम्मद मियां
11.	जल शक्ति दल	1. प्रो. वीरा गुप्ता, अध्यक्ष 2. डा. मोना सेदवाल, सदस्य 3. सुश्री निदा खान, सदस्य 4. श्री जेनयान रंजन साहू, सदस्य 5. श्री चन्द्र प्रकाश, सदस्य सचिव

कुलपति

प्रो. एन.वी. वर्गीज

पीएच.डी. (शैक्षिक योजना)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः योजना और उच्च शिक्षा
इ–मेलः vc@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544803

संकाय और अकादमिक स्टाफ

शैक्षिक योजना विभाग

प्रो. के. बिस्वाल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और प्रभारी (यू–डाइस)
पीएच.डी. (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना
इ–मेलः kkbiswal@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544838

प्रो. पी. गीता रानी, (प्रतिनियुक्ति पर)

डा. एन.के. मोहंती, सहायक–प्रोफेसर
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना
इ–मेलः nkmohanty@niepa.ac.in

दूरभाषः 26544850

डा. सुमन नेगी, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (जनसंख्या अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक गतिशीलता, क्षेत्रीय विकास और स्कूल शिक्षा
इ–मेलः suman@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544841

शैक्षिक प्रशासन विभाग

प्रो. कुमार सुरेश,प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पीएच.डी. (संघीय अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः संघवाद और शिक्षा का बहु–स्तरीय शासन, शैक्षिक नीति और विविधता और समानता प्रबंधन
इ–मेलः kumarsuresh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544855

प्रो. विनीता सिरोही, प्रोफेसर

पीएच.डी. (मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रःशैक्षिक प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार, नेतृत्व, शिक्षक शिक्षा, कौशल विकास, मार्गदर्शन और परामर्श
ई–मेलः vineetasirohi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544862

डा. वी. सुचरिता, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (मानव विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल संस्कृति और शिक्षा
ई–मेलः sucharita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544841

शैक्षिक वित्त विभाग

प्रो. मोना खरे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः आर्थिक विकास में क्षेत्रीय योजना
ई–मेलः monakhare@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544865

प्रो. वेटुकुरी पी.एस. राजू, सह–प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का वित्तपोषण
ई–मेलः vpsraju@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544870

शैक्षिक नीति विभाग

प्रो. अविनाश के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः नीति विश्लेषण और कार्यक्रम मूल्यांकन, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन, जनजातीय शिक्षा
ई–मेलः aksingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544856

डा. मनीषा प्रियम, सह–प्रोफेसर
पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः नीति विश्लेषण और सुधार; उच्च शिक्षा; विकेंद्रीकरण; शहरी नीति; सामाजिक संरक्षण
ई–मेलः priyam.manisha@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544866

डा. एस.के. मलिक, सहायक प्रोफेसर

पीएच.डी. (समाजशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूली शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई–मेलः skmallik@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544850

डा. नरेश कुमार, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा समाजशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा और व्यावसायिक गतिशीलता, शिक्षा की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
ई–मेलः nareshkumar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544849

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग

प्रो. प्रणति पांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पीएचडी (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा, नीति विश्लेषण और संस्थागत मूल्यांकन
ई–मेलः pranatipanda@niepa.ac.in
फोनः 26544815

प्रो. रश्मि दिवान, प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन
ई–मेलः rashmidiwan@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544835 / 26544961

प्रो. मधुमिता बंद्योपाध्याय, प्रोफेसर
पीएच.डी. (भूगोल)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूली शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई–मेलः madhumita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544888

डा. सुनीता चुग, सह–प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः वंचितों की शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई–मेलः sunitachugh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544877

श्री ए.एन. रेड्डी, सहायक प्रफेसर
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का वित्तपोषण
ई–मेलः anreaddy@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544840

डा. कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर

पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल नेतृत्व विकास
ई–मेलः kawasthi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544849

उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा विभाग

प्रो. सुधांशु भूषण, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
डीन (अकादमिक और अनुसंधान), अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्चतर शिक्षा नीति विश्लेषण और योजनाएं
ई–मेलः sudhanshu@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544844

डा. आरती श्रीवास्तव, सह–प्रोफेसर
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र
पीएच.डी. (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः वंचितों की शिक्षा और अध्यापक शिक्षा
ई–मेलः aarti@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544864

डा. नीरू स्नेही, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्चतर शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई–मेलः neerusnehi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544868

डा. संगीता अंगोम, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्चतर शिक्षा
ई–मेलः sangeeta@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544851

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

प्रो. बी.के. पंडा,प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पीएच.डी. (शैक्षिक मानव–विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः वंचितों की शिक्षा और तुलनात्मक शिक्षा
ई–मेलः bkpanda@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544839

प्रो. वीरा गुप्ता, प्रोफेसर और कार्यवाहक अध्यक्ष
पीएच.डी. (शिक्षा का व्यवसायीकरण)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा
ई–मेलः veeragupta@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544808

डा. मोना सेदवाल, सहायक प्रोफेसर

पीएच.डी. (शिक्षा का इतिहास)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः सभी के लिए शिक्षा (ईएफए), वंचित समूहों की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा
ई–मेलः monasedwal@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544871

राष्ट्रीय स्कूल नेतृत्व केंद्र

प्रो. रश्मि दीवान,प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन
ई–मेलः rashmidiwan@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544890/891/892

डा. सुनीता चुग, सह–प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः वंचितों की शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई–मेलः sunitachugh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544877

डा. कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर और सहयक हॉस्टल वार्डन
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल नेतृत्व विकास
दूरभाष 26544903/971/974 (हॉस्टल वार्डन)
ई–मेलः kawasthi@niepa.ac.in

डा. सुभिता जी.वी., सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा
ई–मेलः subitha.ncsl@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544548

डा. एन. मैथिली, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल नेतृत्व
ई–मेलः mythili@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544549

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

डा. निधि सदाना सभरवाल, सह–प्रोफेसर (प्रभारी)
पीएच.डी. (भूगोल)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता, वंचित समूहों की शिक्षा
ई–मेलः nidhis@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544537

प्रो. मोना खरे, प्रोफेसर
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः आर्थिक विकास में क्षेत्रीय योजनाएं
ई–मेलः monakhare@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544865

डा. अनुपम पचौरी, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे
ई–मेलः anupampachauri@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544539

डा. गरिमा मलिक, सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन
ई–मेलः garimamalik@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544540

डा. जिणुशा पाणिग्रही, सहायक प्रोफेसर
एम.फिल./पीएच.डी. (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा का वित्तपोषण, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण
ई–मेलः jinusha@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544534

डा. मलिश सी.एम., सहायक प्रोफेसर
पीएच.डी. (समाजशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः समानता, अनुभवी शिक्षा, संस्थागत संस्कृति
ई–मेलःmalishcm@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544541

स्कूल मानक एवं मूल्याकन एकक

प्रो. प्रणति पंडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा, नीति विश्लेषण और संस्थागत मूल्यांकन
ई–मेलः pranatipanda@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544815

डा. रश्मिता दास स्वैन, सह–प्रोफेसर

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
पीएच.डी. (शिक्षा मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, नेतृत्व, संगठनात्मक व्यवहार, सामाजिक रूप से वंचितों की शिक्षा का प्रबंधन तथा प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
ई–मेलः rasmita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544845

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एकक

प्रो. एन.वी. वर्गीज, अध्यक्ष
प्रो. के. रामचंद्रन, वरिष्ठ सलाहकार
डा. सरिंग चोनजोम भुटिया, सलाहकार, (प्रभारी)
श्री एल्डो मैथ्यूज, उप–सलाहकार
डा. अनामिका, उप–सलाहकार
डा. आलोक रंजन, उप–सलाहकार
डा. बिनय प्रसाद, उप–सलाहकार
श्री गौरव कुमार झा, उप–सलाहकार

परियोजना प्रबंधन एकक

प्रो. के. श्रीनिवास, अध्यक्ष, कम्प्यूटर केन्द्र एवं पीएमयू
पीएच.डी. (कम्प्यूटर साइंस)
ई–मेलः ksrinivas@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544883

सलाहकार (आई.ए.आई.ई.पी.ए. परियोजना)

प्रो. के. रामचन्द्रन
ई–मेलः kramachandran@niepa.ac.in
फोनः 26544884

प्रशासनिक और समर्थन सेवाओं के कर्मचारी

dqylfpo
डा. संदीप चटर्जी
ई–मेलः registrar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544818

सामान्य और कार्मिक प्रशासन

डा. नरेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

ई–मेल:ao@niepa.ac.in
दूरभाष: 26544833

अकादमिक प्रशासन

श्री पी.पी. सक्सेना, अनुभाग अधिकारी
ई–मेल: ppsaxena@niepa.ac.in
दूरभाष: 26544831

सुश्री सोनम आनंद सागर
अनुभाग अधिकारी (कार्मिक) और प्रभारी छात्र कक्ष
ई–मेल: sonam@niepa.ac.in
दूरभाष: 26544832

श्री चंदर प्रकाश
अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)
ई–मेल: admingen@niepa.ac.in
दूरभाष: 26544874

छात्र कक्ष
सुश्री रेखा रानी
दूरभाष: 26544823

वित्त और लेखा

सुश्री पूजा सिंह, वित्त अधिकारी (प्रभारी)
ई–मेल: fo@niepa.ac.in
दूरभाष: 26544834

श्री चंद्र प्रकाश,लेखाकार
दूरभाष: 26544824 / 821

कंप्यूटर केंद्र

प्रो. के श्रीनिवास,प्रोफेसर एवं अक्ष्यक्ष, आईसीटी, पीएमयू
ई–मेल: ksrinivas@niepa.ac.in
दूरभाष: 26544883

श्री चंद्र कुमार एम.जे., सिस्टम एनालिस्ट
ई–मेल: chandrakumar@niepa.ac.in

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
दूरभाषः 26544879

प्रकाशन एकक

श्री प्रमोद रावत, उप–प्रकाशन अधिकारी
ई–मेलः niepapublications@niepa.ac.in
pramodrawat@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544875

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

सुश्री पूजा सिंह,पुस्तकालयाध्यक्षा
ई–मेलः pujasingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544813

डा. डीएस ठाकुर, प्रलेखन अधिकारी
ई–मेलः dsthakur@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544846

प्रशिक्षण कक्ष

श्री जय प्रकाश धामी
अनुभाग अधिकारी (प्रशिक्षण)
ई–मेलः jp@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544812

हिंदी कक्ष

दूरभाषः 26544876 ((हिंदी कक्ष)

छात्रावास रिसेप्शन

डा. वी.पी.एस. राजू, हॉस्टल वार्डन
दूरभाषः 26544903 / 971 / 974

डा. कश्यपी अवस्थी, सहायक हॉस्टल वार्ल्डन
दूरभाषः 26544903 / 971 / 974
26544900 – छात्रावास

अनुलग्नक–1

अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र*

1. शिक्षा में गुणवत्ता और समानता तक पहुँच
   - शिक्षा और विकास की वृद्धि
   - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधिगम का स्तर, शिक्षक, बुनियादी ढांचा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
   - शिक्षा में असमानता
     - लैंगिक, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह
     - समावेशी शिक्षा
2. शिक्षा नीति विश्लेषण और कार्यान्वयन
   - आलोचनात्मक अधिनियमों की समीक्षा, नीतियां, और शिक्षा में योजनाएं
3. शैक्षिक विकासः अंतर–क्षेत्रीय संबंध
   - शिक्षा और आर्थिक विकास, गरीबी, असमानता और विकास
   - शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण
   - शिक्षा और श्रम बाजार/रोजगार/प्रवास
   - शिक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार
4. शैक्षिक योजना
   - शिक्षा की मांग
   - जनशक्ति नियोजन
     - शिक्षकों और अन्य मानव संसाधनों की योजना और प्रबंधन
     - शिक्षकों की आपूर्ति और मांग
   - शिक्षा के लिए प्रतिफल दर
   - शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना, अभिशासन और सामुदायिक भागीदारी
5. शिक्षा में सार्वजनिक, निजी और बाहरी वित्तपोषण
   शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी
   - शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीके और पहुंच, समानता और मात्रा पर उनके प्रभाव
6. शिक्षा, लैंगिक और विकास
7. तुलनात्मक शिक्षा
8. वैश्वीकरण, शिक्षा और विकास का अंतर्राष्ट्रीयकरण
9 लोक प्रशासन और शिक्षा
   - केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय
   - स्कूल नेतृत्व और संगठनात्मक विकास
10. अभिशासन, स्वायत्तता, जवाबदेही
    - प्रणाली स्तर पर शासन, संस्थागत शासन
    - संस्थागत स्वायत्तता
    - प्रत्यायन और मूल्यांकन
    - सार्वजनिक और निजी संस्थानों का प्रबंधन
11. पेशेवर नैतिकता और मूल्य
12. शिक्षा, साक्षरता और आजीवन अधिगम
13. प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
14. कौशल विकास, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी)

*अनुसंधान के लिए प्रस्ताव, जो नीपा के लिए प्रासंगिक नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

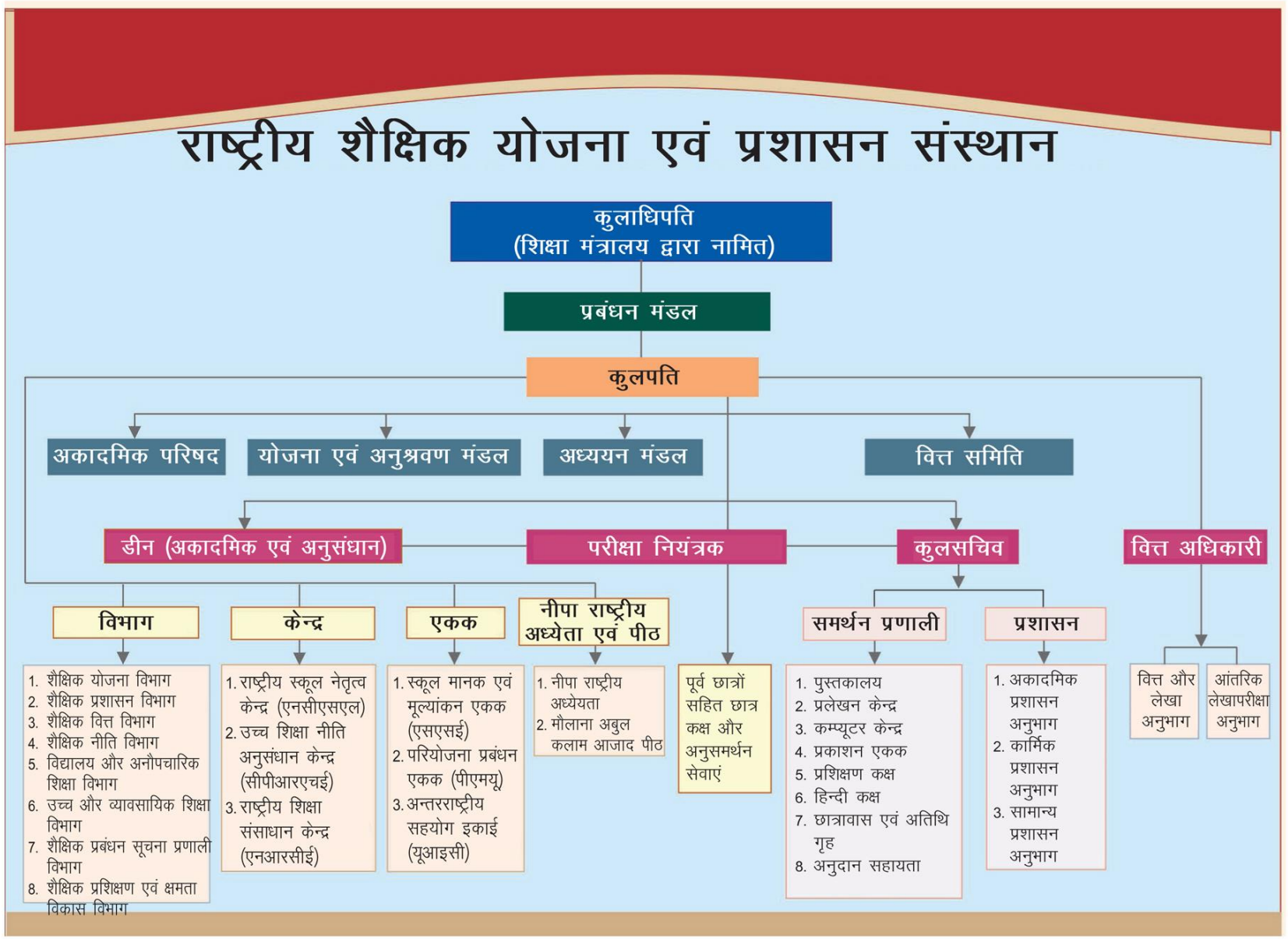
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
कुलाधिपति
(शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित)
प्रबंधन मंडल
कुलपति
अकादमिक परिषद
योजना एवं अनुश्रवण मंडल
अध्ययन मंडल
वित्त समिति
डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)
परीक्षा नियंत्रक
कुलसचिव
वित्त अधिकारी
विभाग
केन्द्र
एकक
नीपा राष्ट्रीय अध्येता एवं पीठ
समर्थन प्रणाली
प्रशासन
1. शैक्षिक योजना विभाग
2. शैक्षिक प्रशासन विभाग
3. शैक्षिक वित्त विभाग
4. शैक्षिक नीति विभाग
5. विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग
6. उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग
7. शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
8. शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
1. राष्ट्रीय स्कूल नेतृत्व केन्द्र (एनसीएसएल)
2. उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र (सीपीआरएचई)
3. राष्ट्रीय शिक्षा संसाधान केन्द्र (एनआरसीई)
1. स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक (एसएसई)
2. परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू)
3. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इकाई (यूआइसी)
1. नीपा राष्ट्रीय अध्येयता
2. मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ
पूर्व छात्रों सहित छात्र कक्ष और अनुसमर्थन सेवाएं
1. पुस्तकालय
2. प्रलेखन केन्द्र
3. कम्प्यूटर केन्द्र
4. प्रकाशन एकक
5. प्रशिक्षण कक्ष
6. हिन्दी कक्ष
7. छात्रावास एवं अतिथि गृह
8. अनुदान सहायता
1. अकादमिक प्रशासन अनुभाग
2. कार्मिक प्रशासन अनुभाग
3. सामान्य प्रशासन अनुभाग
वित्त और लेखा अनुभाग
आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग

नीपा जर्नल एवं न्यूजलेटर

जर्नल आफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

हिन्दी पत्रिका
परिप्रेक्ष्य
शैक्षिक योजना और प्रशासन पर सामाजिक–आर्थिक संदर्भ

एंट्रीप अर्द्धवार्षिक न्यूजलेटर

नीपा का स्थानीय मानचित्र

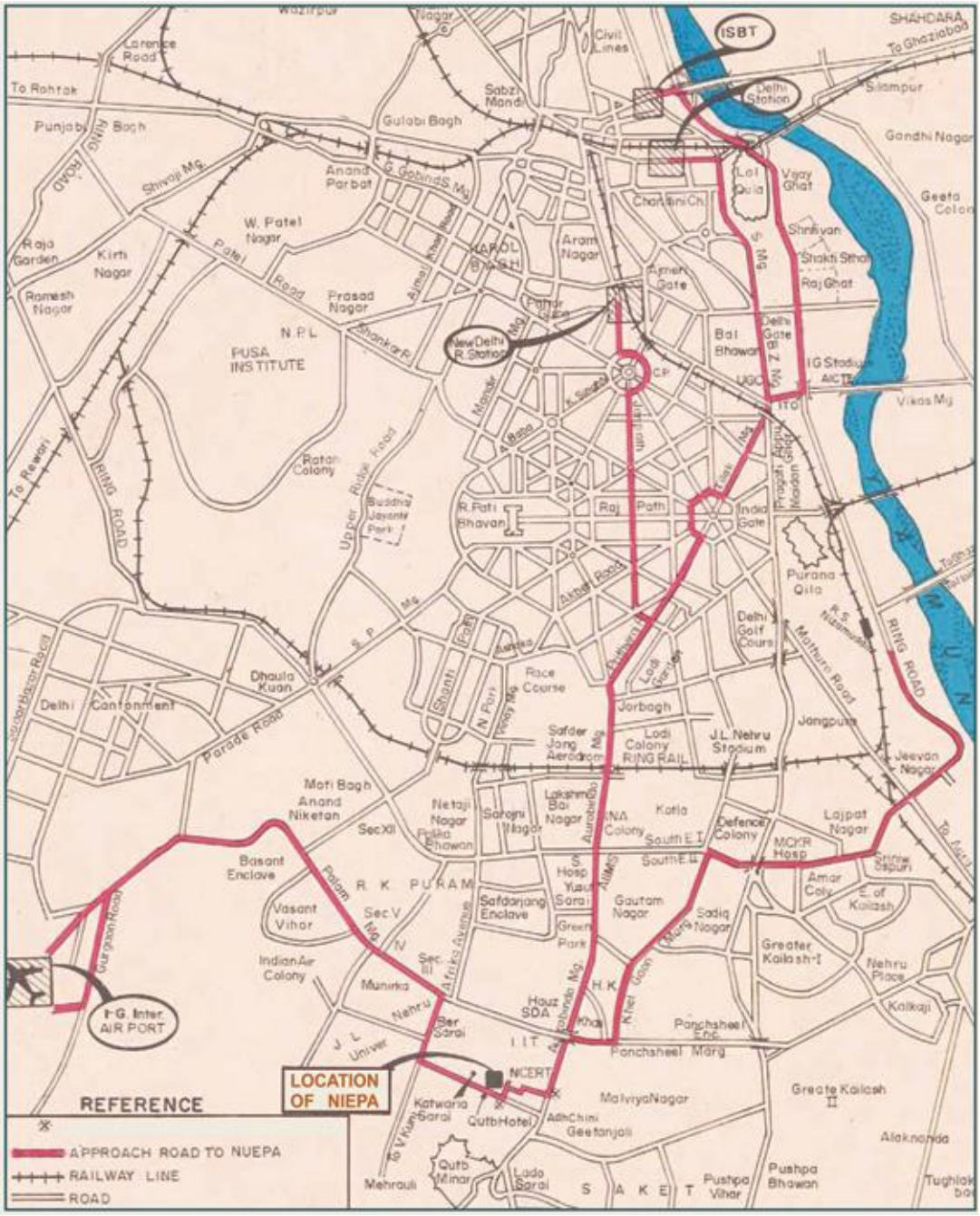

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), 17–बी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली के लिए कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली–110020 द्वारा मुद्रित।

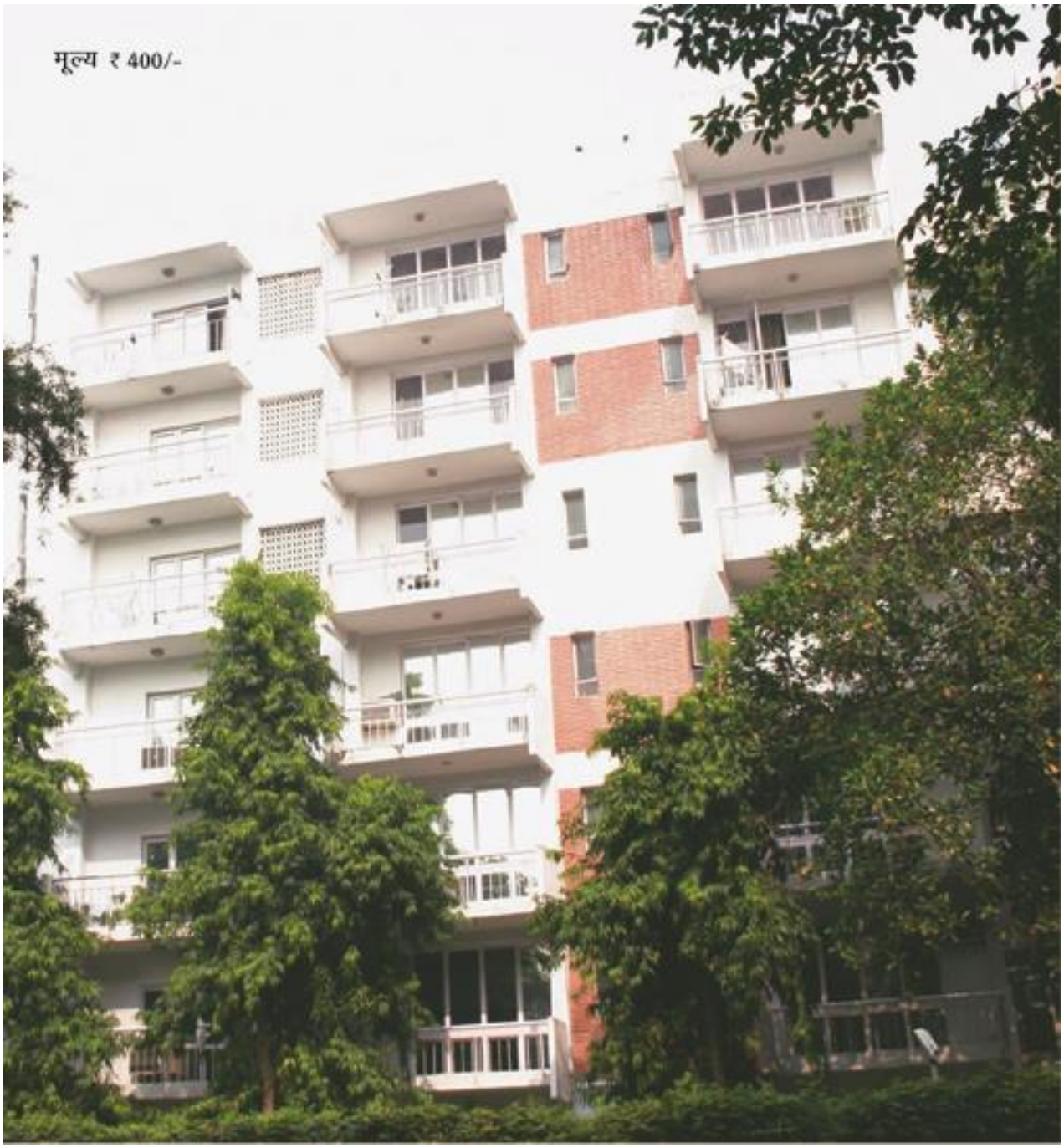

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

17–बी, श्रीअरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110 016, भारत
ईपीएबीएक्सः 91–11–26565600, 26544800
फैक्सः 91–11–26853041, 2686 5180
ई–मेलः niepa@niepa.ac.in
वेबसाइटः www.niepa.ac.in

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL PLANNING AND ADMINISTRATION

(Deemed to be University)

17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110 016, India

17–बी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110 016, भारत

Application Form for Admission M.Phi.-Ph.D. Programme, 2021-22

एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम 2021–22 के लिए आवेदन पत्र

(For Indian Nationals)

(भारतीय नागरिकों के लिए)

1. आवेदित कार्यक्रम का नाम एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. ☐ पूर्ण–कालिक पीएच.डी.☐ अंश–कालिक पीएच.डी.☐

नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो

2. नाम (स्पष्ट शब्दों में) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. लिंग पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य ☐

4.वैवाहिक स्थिति विवाहित ☐ अविवाहित ☐ आधार सं. _____

5. पिता का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. माता का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7. पति/पत्नी का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8. जन्म की तारीख दिन ☐☐ महीना ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

9. श्रेणी सामान्य ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व.☐ आ.पि.व.☐

दिव्यांग ☐ अन्य कोई _____

(कृपया प्रमाणपत्र संलग्न करें, अगर लागू हो)

10. स्थायी पता _____

_____

शहर _____ जिला _____ पिनकोड _____

राज्य _____

मोबाइल नं. _____ ई–मेल आईडी _____

11. पत्र व्यवहार का पता _____

_____

शहर _____ जिला _____ पिनकोड _____

राज्य _____

मोबाइल नं. _____ ई–मेल आईडी _____

12. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता

उत्तीर्ण परीक्षाएं	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	श्रेणी/ग्रेड/सीजीपीए	प्राप्तांकों का प्रतिशत
हाई स्कूल/माध्यमिक स्कूल					
इन्टरमीडिएट/उच्च माध्यमिक					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
एम.फिल.					
अन्य कोई					

'(कृपया परीक्षा का अंकपत्र और प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें और यदि कोई हो, तो एनएडी नंबर इंगित करें।)

'(अंतिम स्नातकोत्तर परीक्षा के परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पहले वर्ष के या पहले दो/तीन सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का प्रतिशत लिखना आवश्यक है।)

13. कार्य का अनुभव

क्र. सं.	संगठन का नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	छोड़ने की तारीख	अनुभव (वर्ष/महीने)

14. (क) क्या नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं हाँ ☐ नहीं ☐ (ख) जेआरएफ श्रेणी के तहत यूजीसी फेलोशिप हाँ ☐ नहीं ☐

(ग) अन्य कोई फेलोशिप हाँ ☐ नहीं ☐

(यदि हाँ, तो कृपया प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

15 शैक्षिक योजना और प्रशासन में अनुसंधान रुचि का क्षेत्र

(कृपया विवरण के लिए विवरणिका पृष्ठ 21 देखें)

16. अलग–अलग शीट में लगभग 2500 शब्दों में शैक्षिक योजना और प्रशासन में अनुसंधान रुचि के प्रस्तावित क्षेत्र पर विवरणिका और (पृष्ठ की) दूसरी ओर प्रारूप के अनुसार संक्षिप्त लेखन की तीन प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

17. शुल्क विवरण

डी.डी. नं./लेनदेन आइडी	दिनांक	राशि	जारीकर्त्ता बैंक का नाम

दिनांक..... आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र कुलसचिव, नीपा, 17–बी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110 016 को दिनांक 15 मई, 2021 तक पहुँच जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्नांकित लिखा जाएः–

एकीकृत एम.फिल.–पीएच.डी. या पीएच.डी. कार्यक्रम 2021–2022 के लिए प्रवेश